रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (DS.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1983/माघ 30, 1904
No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1983/MAGHA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1983

का. आ. 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र, (विदेशी) जलयान मत्स्य-विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तट रक्षक के सभी अधिकारियों और भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. 29012/8/82 एफ वाई (टी-1)]
एस. पी. जाखनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1983

S.O. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby authorises all Officers of the Coast Guard constituted under the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) and the Commissioned Officers of the Indian Navy to exercise powers under sub-section (1) of Section 19 of the said Act.

[F. No. 29012/8/82-FY(T-1)]
S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983